संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्रमांक/आई.डी.एस.पी./ 2020/1912 भोपाल, दिनांक 16.11.2020

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।

Subject:- Regarding Covid-19 safe workplace guidelines for industry & establishment.

Ref.:- D.O. No. ESIC/D-31/12/02/2019-PR dated 13.10.2020 of Smt. Anuradha Prasad, IDAS, Director General, Employees State Insurance Corporation, Panchdeep Bhawan, C.I.G., Road, New Delhi.

कृपया संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड–19 की महामारी को दृष्टिगत रखते हुये कर्मचारियों, श्रमिकों तथा सामाजिक सुरक्षा संगठनों के लिए दिशा–निर्देश तैयार किये गये है। उक्त दिशा–निर्देश महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से तैयार किये गये । जिन्हे डॉ. वी.के. पॉल, सदस्य नीति आयोग द्वारा राज्य स्तर से जारी करने के निर्देश दिये गये है। उक्त दिशानिर्देश हिन्दी तथा अग्रेज़ी में ESIC की वेबसाइट https://www.esic.nic/in पर उपलब्ध है। मार्गदर्शिका के निम्न बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. कोविड–19 के लक्षणों वाले कर्मचारियों को बिना लक्षणों वाले कर्मचारियों के साथ कार्य करने की अनुमति न दे तथा उन्हें घर जाकर तुरंत निकटतम शासकीय चिकित्सालय में परामर्श लेने हेतु निर्देशित करें।
2. बिना मास्क के किसी को भी अपने परिसर में प्रवेश न करने दें।
3. कर्मचारियों को अनावश्यक सतहों को छूने से रोकें।
4. कर्मचारियों को उपयोग में आने वाले उपकरणों को साझा करने से रोकें।
5. आम क्षेत्रों में श्रमिकों/कर्मचारियों को भीड एकत्रित करने की अनुमति न दें।
6. श्रमिकों/कर्मचारियों द्वारा अनावश्यक रूप से किये जाने वाले आंदोलनों को रोके।
7. बैठकों से बचे तथा मीटिंग के लिये वर्चुअल प्लेटफार्म का उपयोग करें।
10. जितना संभव हो एयर कंडीशनिंग का उपयोग न करें।
11. कर्मचारियों को खराब हवादार कमरों में काम करने की अनुमति न दें।
12. अनावश्यक यात्रा करने से बचे। आवश्यक होने पर सभी बुनियादी संक्रमण, नियंत्रण एवं सावधानियों का पालन करें।

निरंतर......

13. गंभीर बीमारी के उच्च जोखिम वाले श्रमिकों/कर्मचारियों को यात्रा करने की अनुमति न दें।
14. यदि संभव हो तो कैफेटेरिया सेवा बंद कर दें।
15. श्रमिकों को एक साथ भोजन आदि करने की अनुमति न दें।
16. जहां तक हो सके तो अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति न दें।
17. श्रमिकों के उपर कीटाणुनाशक स्प्रे का उपयोग न करें।
18. खांसते या छींकते समय अपने चेहरे को पूर्ण रूप से ढके। खुले हाथों पर छींके/खांसे नहीं।
19. अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले एवं अपने परिवार के सदस्यों को भी इस संबंध में अवगत करावे।
20. अस्पताल जाने से बचे। अपने चिकित्सक से टेली–परामर्श लें। वैकल्पिक सर्जरी को स्थगित करें।
21. बिना मास्क पहने हुये लोगों से बचें तथा दूरी बनाये रखें।
22. जहां तक सभव हो यात्रा न करें। यह आपको कोविड–19 से ग्रसित होने की जोखिम को उजागर करता है।
23. सार्वजनिक परिवहन से बचें। पैदल चलें या साइकल का उपयोग करें। यह आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिये लाभदायक है।
24. विवाह, जन्मदिन आदि जैसे बडे सामाजिक समारोहों में जाने से बचें। दोस्तों और रिश्तदारों के साथ वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोन कॉल पर बातचीत करें। यदि एकदम ही आवश्यक हो तो मास्क पहनें और हर समय सामाजिक दूरी बनाये रखें। जितना संभव हो उतना बाहर कम समय बितायें।
25. जहां तक हो सकें बाहर का खाना खाने से बचें।
26. सामूहिक भोजन करने से बचें क्योंकि इसमें कोविड–19 से संक्रमित होने का जोखिम अधिक होता है।
27. भीड–भाड़ वाले स्थानों जैसे की मॉल, रेस्टॉरेंट, जिम, धार्मिक स्थान और खेल प्रतियोगिता आदि में जाने से बचें।
28. आम जनता द्वारा अधिक से अधिक उपयोग की जाने वाली सतह जैसे कि सीढी, रेलिंग, दरवाजे के हैंडल और नॉब्स, गेट, लाईट स्विच, काउंटर टॉप, नल आदि को न छूए। दरवाजे खोलने के लिये अपनी कोहनी या हाथ का उपयोग करें।
29. आवश्यक हो तो ही किसी से मिलने उनके घर जाये अन्यथा स्थगित कर दें।
31. अपने प्रियजनों से न तो हाथ मिलाये, न ही गले लगाये।
32. मोबाईल फोन एवं अन्य ऐसे उपकरण जिनका हम स्वंय उपयोग करते है, किसी के भी साथ साझा न करें।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

<u>आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित।</u>

16/11/2020

अपर संचालक (आईडीएसपी)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश

निरंतर.....

पृ. क्रमांक / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 1913 भोपाल, दिनांक 16.11.2020

प्रतिलिपिः– कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव / सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, सतपुडा भवन भोपाल, म.प्र।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।
6. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल, म.प्र.।
7. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, सतपुडा भवन भोपाल, म.प्र।
8. समस्त अपर संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, सतपुडा भवन भोपाल, म.प्र।
9. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
10. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

अपर संचालक (आईडीएसपी)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

ANURADHA PRASAD, IDAS
DIRECTOR GENERAL

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. ROAD, NEW DELHI-110002
Tel : 23235391, 23232708, Fax : 23237136
Email : dir-gen@esic.nic.in

D.O. No. ESIC/D-31/12/02/2019-PR

Dated: 13/10/2020

अ.संचा./निज स्थापना 2495
दिनांक 4.11.20

Madam/Sir,

The Employees' State Insurance Corporation (ESIC), a statutory Social Security organization for workers, under the Ministry of Labour & Employment, has formulated "COVID-19 SAFE WORKPLCE GUIDELINES FOR INDUSTRY & ESTABLISHMENT". The Guidelines have been prepared in consultation with DGHS, Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) and were jointly released by the Hon'ble Union Health Minister and Hon'ble MoS (IC) L&E, on 29.09.2020 in the august presence of Dr. V.K.Paul, Member, NITI Aayog, through Video Conference.

A copy of the Guidelines in Hindi and English each, are attached. The Guidelines are also available on ESIC website https://www.esic.nic.in . Translation in major regional languages is also being undertaken.

The Guidelines cover, inter alia, risk assessment, symptoms of Covid-19, basic control measures, preventive measures for workplace environment, administrative guidelines, workplace social distancing & hygiene guidelines, travel & transportation guidelines, action points for risk mitigation, management of sickness at the workplace, action points for employers & workers and contingency plan.

At a time when the entire country is fighting the menace of COVID-19, awareness and control measures at workplaces are among the crucial steps to contain the spread of the pandemic while ensuring continued economic activities.

I would therefore, request you to kindly circulate the COVID-19 Safe Workplace Guidelines to all the concerned including the Industries, shops & establishments, so that they can make the best use of this resource and the spread of COVID-19 is prevented while maintaining continuity of business activities.

With regards,

Yours sincerely,

(Anuradha Prasad)

H.C

AD (IDSP)

To

All the Principle Secretaries (Health) to State Governments/U.Ts

DD IDSP 4/11/2020

5/11/20

क्र 2847 /जन/लो.स्वा/2020 दिनांक 03/11/2020

नि. सहा. / स्वा.आयुक्त / 3825 दिनांक 04/11/2020

673/IDSP/5/11/20